न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
5/2022	5.7.2022	28.5.2025

शान्तिदास पुत्र औंकार, बैरवा नि0 जैतपुर ढाणीं माधोपुर्या तहसील तलावडा
––अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ जरिए सरपंच, ग्राम पं0 खेडाबाढरामगढ
2. सरकार जरिए तहसीलदार तलावडा
3. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा औद्योगिक क्षेत्र सालोदा

––रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 361 दि0 6.3.2006 ग्राम जैतपुर

उपस्थित :–श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी के पिता औंकार पुत्र भौर्या का देहान्त हो जाने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण खोला गया जिसमें अपीलार्थी का नाम सन्तोष दर्ज कर दिया गया क्योंकि अपीलार्थी को गांव में इसी उपनाम से जाना जाता है जबकि अपीलार्थी का सही नाम शांतिदास है तथा विरासत का नामान्तरकरण भी इसी नाम से खोला जाना चाहिए था। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 6.3.2006 ग्राम जैतपुर निरस्त फरमाया जावे तथा नामान्तरकरण पुनः निर्णित करने के लिए तहसीलदार तलावडा को रिमाण्ड किया जावे।

अपील के साथ अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 6.3.2006, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 204 ग्राम जैतपुर, प्रधानाचार्य राजकीय अशोक उच्च माध्यमिक विद्यालय [illegible]दी क्वारी सवाईमाधोपुर के प्रमाण पत्र संख्या 1120 दिनांक 1.7.2022 की फोटोकोपी, स्वयं के आधारकार्ड की फोटोकोपी, सरपंच ग्राम पंचायत खेडा व रामगढ के प्रमाण पत्र दिनांक 15.6.2022 की फोटोकोपी, स्वयं के राशनकार्ड की फोटोकोपी आदि प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:53:32 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया एवं मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। तहसीलदार तलावडा के यहां से ग्राम जैतपुर का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 6.3.2006 मूल प्राप्त हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत का है जो पटवारी हलका द्वारा सही प्रकार से खोला गया है परन्तु इसमें अपीलार्थी का गांव का बोलता नाम सन्तोष दर्ज कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी का सही नाम शांतिदास है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण पुनः निर्णित करने हेतु तहसीलदार तलावडा को रिमाण्ड किया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 6.3.2006 ग्राम जैतपुर सन्तोष पुत्र औंकार कौम बैरवा सा0 देह खातेदार के नाम खोला गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी का नाम शांतिदास है। फ़लस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर इसे पुनः जांच हेतु तहसीलदार तलावडा को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 6.3.2006 ग्राम जैतपुर निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार तलावडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनकर नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 6.3.2006 ग्राम जैतपुर पर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। अपीलार्थी सुनवाई हेतु तहसीलदार तलावडा के न्यायालय में उपस्थित होवे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार तलावडा को उनके यहां से प्राप्त मूल नामान्तरकरण जिल्द के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/3/25 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:53:32 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)